

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1416 / 1990 आदि।

डब्ल्यू.पी. संख्या- 8516 एवं 5311 वर्ष, 1990 में मद्रास उच्च के निर्णय एवं आदेश

दिनांकित 08.02.90 से

सी.एस. वैद्यनाथन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, आर.बी. मेहरोत्रा के. परासरन, हरीश एन. साल्वे, आर.एफ. नरीमन, एस.के. ढोलकिया, बी. सेन, (ए.के. गोयल, यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता), वी. बालचंद्रन, एस. अरविंद, सेंथिल जगदीसन, पी.पी. त्रिपाठी, कु. स्वाति सिंह, कु. नीलिमा त्रिपाठी, कविन गुलाटी, आर.बी. मिश्रा, सी. सिद्धार्थ, आर.सी. वर्मा, एस. श्रीनिवासन, सुश्री. नीना गुप्ता, कु. अर्पिता रॉय चौधरी, कु. तानिया बेरी, संजय कल्याल, संजय चौधरी, विनीत कुमार, यशांक अध्यारू, पी.के. जैन, श्रीमती उर्मिला सिरूर, डी.पी. मुखर्जी, श्रीमती कामिनी जयसवाल, वी. कृष्णमूर्ति, ए. मारियारपुथम, टी. हरीश कुमार, वी. रामा सु-रमण्यम, जी.बी. साठे, एस.पी. सिंह चौहान, के.के. मोहलिक, देबासिस मोहंती, (डी. गोबरधन) (एनपी), एम. वीरप्पा, के.एच. नोबिन सिंह, नीरज क्र. जैन, कु. अमिता गुप्ता, ए.एस. भस्मे, के. राम कुमार, कु. शांतिनारायण, वाई. सुब्बा राव, बी. श्रीधर, एस.एन. टेरडोल, (पी. परमेश्वरन) (एनपी), सुश्री। बी. सुनीता राव, (सी.वी.एस. राव) (एनपी), श्रीमती। शुरेष्ठा बग्गा और के.आर. नांबियार, उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

भरूचा, जे. इन अपीलों और रिट याचिकाओं के मुद्दे खाद्य और पेय की बिक्री पर कर लगाने का राज्यों के अधिकार से संबंधित हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 54 राज्यों को 'सूची-I की प्रविष्टि 92। के प्रावधानों के अधीन समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर' लगाने का अधिकार देती है। (सूची- I की प्रविष्टि 92ए अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर करों से संबंधित है और यहां हमारी चिंता नहीं है)।

पंजाब राज्य बनाम मैसर्स एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, (1972, 2 एससीआर 937, के फेसले में इस न्यायालय ने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की याचिका पर विचार किया, जो शिमला में सेसिल होटल चलाती थी, कि वह वहां रहने के लिए आने वाले मेहमानों को परोसे जाने वाले भोजन के संबंध में बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। सवाल उठाते हुए, जब एक होटल व्यवसायी ने अपने होटल में एक अतिथि का स्वागत किया तो लेन-देन की प्रकृति और पार्टियों का इरादा क्या था और उस लेन-देन में क्या था और उसके प्रवास के दौरान उसे परोसे गए भोजन में शामिल भोजन उसे बेचने का इरादा था, इस न्यायालय ने माना कि लेन-देन अनिवार्य रूप से एक और अविभाज्य था, अर्थात्, ठहरने के लिए होटल में ग्राहकों को प्राप्त करना। भले ही लेन-देन विघटित हो गया हो, ऐसे प्रवास के दौरान भोजन की आपूर्ति का कोई सवाल ही नहीं था, जिससे बिक्री का एक अलग अनुबंध बनता था क्योंकि भोजन के समय आपूर्ति की गई खाद्य सामग्री को बेचने और खरीदने के लिए पार्टियों की ओर से कोई इरादा नहीं था। लेन-देन, अनिवार्य रूप से, होटल व्यवसायी द्वारा की गई सेवा में से एक था, जिसके प्रदर्शन में भोजन उस सेवा के हिस्से के रूप में और आकस्मिक रूप से परोसा जाता था, ऐसी सुविधाओं को अच्छी तरह से संचालित आधुनिक होटलों में आवश्यक माना जाता था। भोजन सहित ऐसी सुविधाएं, सेवा का अभिन्न अंग था, जो वास्तव में पार्टियों के बीच लेनदेन था। इसलिए, राजस्व लेन-देन को दो भागों में विभाजित करने का अधिकार नहीं था, एक सेवा का और दूसरा खाद्य-सामग्री की बिक्री का, और होटल मालिक द्वारा लगाए गए बिल को भी विभाजित करने का अधिकार नहीं था, जिसमें आवास शुल्क और भोजन परोसने का शुल्क शामिल था।

नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल का मामला, (1978), 4 एससीसी 36, विशेष रूप से एक रेस्तरां में आकस्मिक आगंतुकों को भोजन की सेवा पर बिक्री कर लगाने से संबंधित था। प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता के रेस्तरां में अनिवासी ग्राहकों को भोजन की सेवा खाद्य सामग्री की बिक्री के अंतर्गत आती है। इस न्यायालय ने कहा कि एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में लिया गया दृष्टिकोण प्रश्न के दृष्टिकोण का संकेत देता है। इस न्यायालय ने एक

रेस्तरां की संस्था की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास पर विचार किया और इसे ऐतिहासिक रूप से एक सराय के समान पाया। एक सराय मालिक या होटल व्यवसायी “अपने कमरे पट्टे पर नहीं देता है, इसलिए वह अतिथि को जो भोजन देता है उसे बेचता नहीं है। यह उसका कर्तव्य है कि अतिथि को उसकी आवश्यकता के अनुसार भोजन प्रदान किया जाए, और अतिथि का तदनुसूच अधिकार यह है कि वह उस भोजन का उपभोग करने की जरूरत है, और अधिक लेने की नहीं। अपना भोजन समाप्त करने के बाद, उसे मेज से भोजन लेने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि उसे दिए गए भोजन का न खाया हुआ हिस्सा भी, और न ही वह भोजन के एक निश्चित हिस्से को अपना मानने का दावा कर सकता है। यदि वह स्वयं इसका उपभोग नहीं करना चाहता है तो दूसरे किसी अतिथि को भोजन की आपूर्ति के सामान्य लेनदेन के परिणामस्वरूप भोजन का स्वामित्व कभी नहीं जाता है।’ प्रोफ़ेसर बीले के शब्दों में, इस सिद्धांत को इंग्लैंड में रेस्तरां में भोजन की सेवा तक विस्तारित किया गया था। रेस्तरां मालिक को मूल रूप से उन लोगों को जीविका प्रदान करने वाला माना जाता था जो परिसर में खाने का ऑर्डर देते थे। होटल व्यवसायी की तरह, रेस्तरां मालिक ने भोजन की आपूर्ति के अलावा कई सेवाएँ भी प्रदान कीं। उन्होंने फर्नीचर और फर्निशिंग, लिनन, क्रॉकरी और कटलरी और, शायद, संगीत, एक डांस फ्लोर और एक फ्लोर शो प्रदान किया। तदनुसार, न्यायालय ने माना कि भोजन की सेवा अपीलकर्ता के रेस्तरां में आनेवाले आगंतुक बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं थे और यह इसलिए था कि क्या शुल्क पूरे भोजन के लिए लगाया गया था या अलग से ऑर्डर किए गए व्यंजनों के अनुसार लगाया गया था।

नॉर्थेम इंडिया कैटरर्स, (1980), 2 एससीसी 167 में फैसले के संबंध में एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी और तीनों न्यायाधीशों ने पाया कि इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। बहुमत के आदेश में कहा गया है कि समीक्षा याचिका में की गई दलीलों से यह प्रतीत होता है कि राज्यों को आशंका थी कि उत्तरी भारत के कैटरर्स मामले में रेस्तरां मालिकों द्वारा उन मामलों में भी फैसले को लागू किया जाएगा जहां भोजन की बिक्री हुई थी और शीर्षक पारित किया गया था। ग्राहकों को, बहुमत का गठन करने वाले दो विद्वान न्यायाधीशों को यह प्रतीत हुआ कि उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिन पर

निर्णय आधारित था, वे निर्विवाद थे क्योंकि वे मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों में बने रहे थे, और जिन विचारों को उन्होंने आकर्षित किया था, ऐसी कोई भी आशंका उचित नहीं हो सकती थी मनोरंजन किया. जहां एक रेस्तरां में भोजन की आपूर्ति की गई थी और यह इस तथ्य पर स्थापित किया गया था कि लेनदेन का सार, इसके प्रमुख उद्देश्य से प्रमाणित, भोजन की बिक्री थी और सेवा का प्रतिपादन केवल आकस्मिक था, लेनदेन निस्संदेह बिक्री कर के दायरे में आएगा। प्रत्येक मामले में यह कर लगाने वाले प्राधिकारी का काम होगा कि वह प्रासंगिक बिक्री कर कानून के तहत मूल्यांकन करते समय तथ्यों का पता लगाए और उन तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करे कि आपूर्ति किए गए भोजन की बिक्री का इरादा था या नहीं। कृष्णा अय्यर, जे. ने बहुमत से सहमति जताते हुए कहा कि समीक्षाधीन निर्णय पूरी तरह से हाई-स्टाइल रेस्तरां या आवासीय होटलों के मामलों पर लागू होता है, जो एक समेकित राशि के लिए विशेष सेवाओं का एक बंडल प्रदान करते हैं।

संविधान छियालीसवें संशोधन अधिनियम, 1982 ने उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 366 में खंड (29ए) डालकर संशोधन किया। जहां तक यह हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, इसमें लिखा हैरू

“वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर में शामिल हैं:

(ए) xxxx

(बी) xxxx

(सी) xxxx

(डी) xxx

(ई) xxxx

(एफ) किसी भी सेवा के हिस्से के रूप में या किसी भी अन्य तरीके से, भोजन या मानव उपभोग के लिए किसी अन्य वस्तु या किसी पेय (चाहे या नशीला) की आपूर्ति पर कर,

जहां ऐसा हो आपूर्ति या सेवा, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है,

और किसी भी सामान के ऐसे हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उन सामानों की बिक्री और उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों की खरीद माना जाएगा, जिसे ऐसा हस्तांतरण, आपूर्ति की डिलीवरी की जाती है।'

इस संशोधन के कारण राज्य भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर लगाने के हकदार हो गये।

तमिलनाडु में, तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम को तमिलनाडु सामान्य (बिक्री कर) चौथा संशोधन अधिनियम, 1984 के तहत संशोधित किया गया था। 'बिक्री' की परिभाषा में अब किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में आपूर्ति शामिल है। अन्य तरीके से कोई भी सामान, भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे नशीला हो या नहीं) जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए है। 'डीलर' की परिभाषा का भी इसी तरह विस्तार किया गया। उपयोग में आने वाली वस्तुओं के हस्तांतरण पर कर लगाने के प्रावधान के लिए धारा 3ए पेश की गई थी और 1986 में, कार्य अनुबंधों में शामिल वस्तुओं के हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए धारा 3बी को शामिल किया गया था। (अनुच्छेद खंड (29ए), उप खंड (डी) और (बी) क्रमशः माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण और कार्य अनुबंधों में शामिल माल के हस्तांतरण पर कर लगाने का प्रावधान करते हैं। उक्त के तहत जारी क्रमिक अधिसूचनाओं द्वारा तमिलनाडु अधिनियम, होटल, रेस्तरां, मिठाई स्टालों और अन्य खाने के घरों द्वारा भोजन और पेय की बिक्री पर देय कर के संबंध में छूट दी गई थी। फिर, 1997 में, 1 अप्रैल, 1997 से धारा 3 डी पेश की गई और होटल, रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और भोजनालयों द्वारा भोजन और पेय की बिक्री पर देय कर के संबंध में छूट बढ़ा दी गई ताकि जिनका कुल कारोबार 25 लाख रुपये से अधिक न हो उन्हें छूट मिले।

तमिलनाडु के ऐसे रेस्तरां मालिकों (1990 के सी.ए. संख्या 1415 और 1416 में अपीलकर्ता) के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तमिलनाडु राज्य विधायिका ने भोजन की आपूर्ति पर कर लगाने का कोई इरादा नहीं दिखाया है।

‘और 1997 में धारा 3 डी पेश किए जाने तक पीते रहे, जबकि इसने उक्त तमिलनाडु अधिनियम में धारा 3 ए और 3 बी की शुरुआत से माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण और कार्य अनुबंधों में शामिल माल के हस्तांतरण पर कर लगाने का इरादा जाहिर किया था। उनके प्रस्तुतीकरण में, वनीकरण के रूप में परिभाषा अनुभाग में मात्र संशोधन राज्य को 1997 से पहले कर लगाने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं था। हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। एक बार जब उक्त तमिलनाडु अधिनियम में “बिक्री” की परिभाषा में भोजन और पेय की आपूर्ति को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, तो भोजन और पेय की आपूर्ति उसके चार्जिंग अनुभाग के दायरे में आ गई और उसके तहत कर के दायरे में आ गई। राज्य विधायिका ने पहले विशेष रूप से वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण और कार्य अनुबंधों में शामिल वस्तुओं के हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए धारा 3 ए और 3 बी को शामिल करने के लिए विशेष रूप से चुना था, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि, इसलिए, इसका इरादा नहीं था 1997 में धारा 3डी शामिल होने तक भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर लगाना। धारा 3ए और 3बी का समावेश केवल प्रचुर सावधानी के उपाय कहा जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए अगली दलील दी कि, कानून की नजर में, रेस्तरां में परोसे जाने वाले भोजन पर कर ग्राहक से ली गई कीमत की कुल राशि पर नहीं लगाया जा सकता है। उनके निवेदन में, रेस्तरां भोजन के अलावा सेवाएं भी प्रदान करते थे, और इनका हिसाब भी देना पड़ता था। इस प्रकार, रेस्तरां ने शानदार सजावट, वर्दीधारी वेटर, अच्छी लिनेन, क्रॉकरी और कटलरी प्रदान की। यह भी हो सकता है कि उन्होंने संगीत, रिकॉर्ड किया गया या लाइव, एक डांस फ्लोर और एक कैबरे उपलब्ध कराया हो। इसलिए, ग्राहक द्वारा रेस्तरां में भुगतान किया गया बिल, ऐसी सेवा के लिए लिए गए शुल्क और भोजन के लिए लिए गए शुल्क के बीच विभाजित होना था।

अनुच्छेद 366 के खंड (29ए) के उप-खंड (एफ) के प्रावधानों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उप-खंड (एफ) राज्यों को भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर लगाने की अनुमति देता है। आपूर्ति किसी सेवा के माध्यम से या किसी सेवा के हिस्से के रूप में या किसी अन्य तरीके से हो सकती है। आपूर्ति या सेवा नकद या विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो सकती है। उप-खंड (एफ) के शब्दों को अधिकांश राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों में जगह मिली है और, जैसा कि हमने देखा है, उनका उपयोग उक्त तमिलनाडु अधिनियम में किया गया है। इसलिए, कर भोजन या पेय की आपूर्ति पर है और यह प्रासंगिक नहीं है कि आपूर्ति किसी सेवा के माध्यम से या सेवा के हिस्से के रूप में है। इसलिए, हमारे विचार में, किसी रेस्तरां में भोजन की आपूर्ति के लिए ग्राहक जो कीमत चुकाता है, उसे विद्वान अधिवक्ता के सुझाव के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता है। रेस्तरां मालिक द्वारा ग्राहक को भोजन की आपूर्ति, हालांकि यह हो सकती है

उस सेवा का हिस्सा बनें जो वह अच्छे फर्नीचर, फर्निशिंग और फिक्स्चर, लिनन, क्रॉकरी और कटलरी, संगीत, एक डांस फ्लोर और एक फ्लोर शो प्रदान करके प्रदान करता है, यही लेवी का विषय है। एक फैंसी रेस्तरां का संरक्षक, जो पनीर सैंडविच की एक प्लेट का ऑर्डर देता है, जिसकी कीमत रुपये दिखाई गई है। किराये के बिल पर 50 वाला अच्छी तरह से जानता है कि प्लेट में ब्रेड, मक्खन, सरसों और पनीर की स्वाभाविक लागत बहुत कम है, लेकिन फिर भी वह यह सब ऑर्डर करता है। वह रुपये का भुगतान करता है। इसकी आपूर्ति के लिए 50 रुपये है और यह रुपये पर है। 50 रुपये का टैक्स रेस्टोरेंट मालिक को देना होगा।

पश्चिम बंगाल में रेस्तरां के मालिकों के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलें (रिट याचिका संख्या 15227

और 1984 की 17245) समान हैं, और उन्हें इसी तरह खारिज कर दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य में आवासीय होटलों के मालिकों के विद्वान अधिवक्ता (रिट याचिका संख्या 9901/1983) ने भी यही तर्क उठाया, लेकिन आवासीय होटलों के संदर्भ में। उन्होंने बताया कि आवासीय होटल केवल आवास या लॉजिंग और बोर्डिंग प्रदान करता है। बोर्डिंग में पूर्ण बोर्ड शामिल हो सकता है,

यानी, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना या नाश्ता और एक भोजन या अकेले नाश्ता। श्री साल्वे के प्रस्तुतीकरण में, होटल मालिक द्वारा आवास और ऐसे बोर्डिंग के लिए लगाए गए समग्र शुल्क को विभाजित किया जाना था और केवल भोजन की आपूर्ति से संबंधित तत्व पर कर लगाया जा सकता था। बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए समग्र शुल्क पर कर तब तक नहीं लगाया जा सकता था जब तक कि राज्य ने ऐसे नियम नहीं बनाए जो समग्र शुल्क के उस घटक को निर्धारित करने के लिए सूत्र निर्धारित करते थे जो भोजन और पेय पर कर के लिए योग्य था।

महाराष्ट्र राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया कि भोजन और पेय पर कर केवल आवासीय होटल में आवास और बोर्डिंग के लिए समग्र शुल्क के उस घटक पर लगाया जा सकता है जो भोजन और पेय की आपूर्ति से संबंधित है। लेकिन, उनके निवेदन में, इस संबंध में कोई नियम आवश्यक नहीं थे; बिक्री कर अधिकारी प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे।

महाराष्ट्र राज्य में कई सौ आवासीय होटल हैं। वे प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में हजारों ग्राहकों को आवास और भोजन प्रदान करते हैं। बिक्री कर अधिकारियों के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत होटल में प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसलिए, सामान्यीकरण अपरिहार्य है और इस बात की पूरी संभावना है कि एक बिक्री कर अधिकारी द्वारा किए गए सामान्यीकरण का आधार अलग होगा।

दूसरे द्वारा किए गए सामान्यीकरण के आधार पर, जिससे अस्वीकार्य मनमानी होती है। नियम जो बिक्री कर अधिकारियों को बताते हैं कि आवास और बोर्डिंग के लिए समग्र शुल्क का इलाज कैसे करें, उनके दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर और इस प्रकार, मनमानी को खत्म कर देगा।

इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि महाराष्ट्र राज्य अब से होटल मालिकों पर भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर का आकलन नहीं करेगा, जो एक समग्र राशि के लिए आवास और बोर्डिंग प्रदान करते

हैं, जब तक कि वह ऐसे नियम नहीं बनाते हैं जो इस तरह के मूल्यांकन के लिए सूत्र निर्धारित करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवासीय होटल ऊपर बताए अनुसार आवास और पूर्ण या आंशिक बोर्ड प्रदान कर सकते हैं। यदि नियम 1 जून, 2000 तक बनाये जाते हैं तो केवल इस आदेश के कारण जो मूल्यांकन पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि उक्त तिथि तक नियम नहीं बनाए गए, तो ये मूल्यांकन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक मूल्यांकन के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। साथ ही, आज तक पूर्ण किए गए मूल्यांकन इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे, और निर्धारित कानून के अधीन, उसके खिलाफ कार्यवाही अपनाने के हकदार होंगे।

महाराष्ट्र राज्य में आवासीय होटलों के मालिकों के विद्वान अधिवक्ता ने बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का हवाला दिया। “बिक्री” से संबंधित धारा 2, उप-धारा (28) को 16 अगस्त, 1985 से संशोधित किया गया था। और उसमें खंड (बी) पेश किया गया था। उसका उप-खंड (iii) पढ़ें:

“(iii) किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी भी अन्य तरीके से, माल की आपूर्ति, भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे वह नशीला हो या नहीं), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए 2 फरवरी, 1983 को या उसके बाद बनाया या दिया गया है।”

(बल दिया गया)

विद्वान अधिवक्ता की दलील के अनुसार भोजन या पेय पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता इसलिए, 2 फरवरी, 1983 से पहले की किसी भी आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा लगाया जाना चाहिए, लेकिन राज्य उस तारीख से पहले की अवधि के लिए ऐसा कर लगाने का इरादा रखता था। यह उल्लेख करना तर्क के लिए प्रासंगिक है कि अनुसूची बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम ने “पका हुआ भोजन” को बिक्री कर के लिए उत्तरदायी वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया।

यूपी में कोई संशोधन नहीं हुआ. बिक्री कर अधिनियम, 1948, खंड (29ए) के बाद खाद्य और पेय की आपूर्ति को कर योग्य बनाने के लिए 1985 तक अनुच्छेद 366 में पेश किया गया था जब 2 फरवरी, 1983 से “बिक्री” की परिभाषा को उचित रूप से संशोधित किया गया था। यूपी. की अनुसूची बिक्री कर अधिनियम में एक प्रविष्टि शामिल थी जिसके तहत “मिठाई, नमकीन, पका हुआ भोजन, कन्फेक्शनरी, रेवड़ी, गजक, बिस्कुट, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, बन, जैम, जेली, मुरब्बा, गुलकंद, चूरन, चटनी और अचार जब खुले या बिना पैक किए बेचे जाते हैं” कर योग्य थे.

उत्तर प्रदेश में एक “हलवाई” ने 2 फरवरी, 1983 से पहले की अवधि के लिए भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर लगाने को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने उसके मामले को बरकरार रखा। इसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल ने पाया था कि उसने बियरर, रेडियो, पंखे आदि की सेवा प्रदान की थी और अपनी दुकान में बैठने की व्यवस्था की थी। राज्य की ओर से संविधान छियालीसवें संशोधन अधिनियम की धारा 6 पर भरोसा रखा गया, लेकिन तर्क को खारिज कर दिया गया। अपील के तहत उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश (सी.ए. संख्या 354 सन् 1985)।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के विद्वान अधिवक्ता ने संविधान के छियालीसवें संशोधन अधिनियम की धारा 6 पर भरोसा किया। उक्त धारा 6 इस प्रकार है:

“6. मान्यता और छूट। संविधान के प्रत्येक प्रावधान के प्रयोजनों के लिए जिसमें अभिव्यक्ति “माल की बिक्री या खरीद पर कर” होती है, और पारित या बनाए गए किसी भी कानून के प्रयोजनों के लिए, या पारित होने का तात्पर्य है या इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, ऐसे किसी प्रावधान के अनुसरण में, -

(ए) उक्त अभिव्यक्ति को किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में आपूर्ति पर एक कर (इसके बाद इस अनुभाग में पूर्विकृत कर के रूप में संदर्भित) शामिल माना जाएगा, और हमेशा शामिल माना जाएगा। किसी भी अन्य तरीके से,

सामान, भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई पेय (चाहे नशीला हो या नहीं); और

(बी) ऐसे प्रारंभ से पहले किए गए खंड (ए) में निर्दिष्ट प्रकृति की आपूर्ति के माध्यम से प्रत्येक लेनदेन को बिक्री के माध्यम से एक लेनदेन माना जाएगा, और हमेशा माना जाएगा, जिसके संबंध में व्यक्ति ऐसी आपूर्ति करने वाला विक्रेता है

और जिस व्यक्ति को ऐसी आपूर्ति की जाती है वह क्रेता है, और किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश के बावजूद, कोई भी कानून जो इस तरह के प्रारंभ से पहले पारित या बनाया गया था और जो पूर्विकृत कर को लगाया या अधिकृत किया गया था, या लगाने या लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। केवल इस आधार पर अमान्य या कभी भी अमान्य माना जाएगा कि ऐसा कानून पारित करने या बनाने वाले विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी के पास ऐसा कानून पारित करने या बनाने की क्षमता नहीं थी, और तदनुसार -

- (i) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले ऐसे किसी भी कानून के तहत लगाए गए या एकत्र किए गए या लगाए गए या एकत्र किए जाने वाले कथित सभी करों को हमेशा कानून के अनुसार वैध रूप से लगाया या एकत्र किया गया माना जाएगा;
- (ii) धन की वापसी के लिए किसी भी अदालत में या किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, और किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा धन वापसी का निर्देश देने वाले किसी भी डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी पूर्विकृत कर जो एकत्र किया गया है;

(iii) ऐसी सभी राशियों की वसूली ऐसे कानून के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी जो कि उपरोक्त कर के रूप में एकत्र की गई होती यदि यह धारा सभी भौतिक समय पर लागू होती।

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, उसमें निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी आपूर्ति को पूर्विकृत कर से छूट दी जाएगी-

(ए) जहां ऐसी आपूर्ति किसी भी रेस्तरां या भोजनालय (चाहे जो भी नाम हो) द्वारा, 7 सितंबर 1978 को या उसके बाद और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले और पूर्विकृत कर के लिए नहीं की गई है। ऐसी आपूर्ति पर इस आधार पर एकत्र किया गया था कि उस समय ऐसा कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता था; या

(बी) जहां ऐसी आपूर्ति, किसी भी रेस्तरां या भोजनालय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) द्वारा ऐसी आपूर्ति न होकर, की गई है। 4 जनवरी, 1972 को या उसके बाद और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय किया गया और उपरोक्त कर इस आधार पर ऐसी आपूर्ति पर एकत्र नहीं किया गया है कि उस समय ऐसा कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता था:

बशर्ते कि यह साबित करने का भार कि उपरोक्त कर खंड (ए) या, जैसा भी मामला हो, खंड (बी) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी आपूर्ति पर एकत्र नहीं किया गया था, इस उप के तहत छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा - अनुभाग।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, -

(ए) उप-धारा (1) में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को रोकने वाला नहीं माना जाएगा -

(i) उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार पूछताछ करने से, उपरोक्त कर का मूल्यांकन, "पुनर्मूल्यांकन, उद्ग्रहण या संग्रह, या

(ii) ऐसे किसी भी कानून के तहत उसके द्वारा देय राशि से अधिक भुगतान किए गए उपरोक्त कर की वापसी का दावा करने से; और

(बी) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भी कार्य या चूक, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगी, जो इतना दंडनीय नहीं होता यदि यह अधिनियम लागू नहीं हुआ होता।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए विद्वान अधिवक्ता। शुरुआत में तर्क दिया गया कि उक्त धारा 6 राज्यों के बिक्री कर कानूनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्य करती है और इसलिए, राज्य इस तथ्य की परवाह किए बिना कि भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर लगाने के हकदार हैं। 2 फरवरी, 1983 से पहले इस तरह के लेवी के लिए राज्य अधिनियमों में प्रावधान था। भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद तर्क पर जोर नहीं दिया गया कि उक्त धारा 6 केवल 2 फरवरी, 1983 से पहले एक राज्य कानून को मान्य करती है। यदि राज्य के कानून में राज्य को भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर लगाने का अधिकार देने वाला प्रावधान शामिल था। यदि ऐसा राज्य कानून अस्तित्व में था, तो संविधान के छियालीसवें संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 366 (29ए) में "बिक्री" की परिभाषा में संशोधन के कारण इसे वैध बना दिया गया था।

वह तारीख और उक्त धारा 6 द्वारा दी गई पूर्वव्यापीता। तब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों की ओर से दलील दी गई थी कि उक्त धारा 6 खाद्य और पेय पर बिक्री कर की वसूली को लेवी के बराबर करके मान्य करती है। भोजन और पेय की आपूर्ति.

संसद, अनुच्छेद 366 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्तियों का प्रयोग करते समय, राज्य अधिनियमों में संशोधन नहीं कर सकती है और न ही करती है। संविधान में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो इसकी अनुमति देता हो और इस न्यायालय का कोई निर्णय भी ऐसा नहीं है जो ऐसा मानता हो। सातवीं अनुसूची में सूची II में सूचीबद्ध मामले के संबंध में राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों की है। अकेले राज्य विधानमंडल सूची II की प्रविष्टि 54 के

तहत कर लगाने वाले राज्य कानून को संशोधित या संशोधित कर सकते थे। इसलिए, उक्त धारा 6 कानून की दृष्टि से खराब होगी यदि इसे राज्यों के बिक्री कर कानूनों में संशोधन करने के लिए घटक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा एक निबंध माना जाता है। उक्त धारा 6 को केवल सूची II की प्रविष्टि 54 में भोजन या पेय की आपूर्ति पर कर को शामिल करने के लिए “माल की बिक्री या खरीद पर कर” अभिव्यक्ति के विस्तार को पूर्वव्यापी संचालन देने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार पूर्वव्यापी रूप से राज्य को मान्य करना चाहिए। इसलिए बिक्री कर अधिनियमों ने भोजन और पेय की आपूर्ति पर बिक्री कर लगाने का प्रावधान किया था। तदनुसार, इस प्रस्तुति के लिए भी कोई वारंट नहीं है कि उक्त धारा 6 राज्यों के बिक्री कर अधिनियमों में भोजन और पेय पर बिक्री कर के प्रावधान को भोजन और पेय की आपूर्ति पर बिक्री कर के प्रावधान के बराबर करती है। अनुच्छेद 366 में खंड (29ए) की शुरूआत से पहले न तो महाराष्ट्र राज्य और न ही उत्तर प्रदेश राज्य के पास अपने बिक्री कर अधिनियम में प्रावधान थे, जो उन्हें भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर लगाने में सक्षम बनाता था। इसलिए, उक्त धारा 6 उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में 2 फरवरी, 1983 से पहले खाद्य और पेय की आपूर्ति पर बिक्री कर लगाना कानूनन गलत है।

उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपील के तहत उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ टिप्पणियाँ थीं, जिसमें सुझाव दिया गया था कि उक्त धारा 6 का यूपी पर कोई लागू नहीं हो सकता है। बिक्री कर अधिनियम क्योंकि यह एक कानून था जो संविधान से पहले लागू किया गया था। हम विद्वान अधिवक्ता से सहमत हैं कि इस संबंध में टिप्पणियाँ उचित नहीं हैं। उक्त धारा 6 की भाषा से पता चलेगा कि यह संविधान छियालीसवें संशोधन अधिनियम, 1982 से पहले पारित या बनाए गए सभी कानूनों पर लागू होता है।

1983 की रिट याचिका संख्या 9901 को इस सीमा तक पूर्ण बनाया गया है:

अब से महाराष्ट्र राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह होटल मालिकों पर भोजन और पेय की आपूर्ति पर कर का आकलन न करें, जो समग्र राशि के लिए आवास और बोर्डिंग प्रदान करते हैं, जब तक कि

वह ऐसे नियम नहीं बनाते हैं जो ऐसे मूल्यांकन के लिए सूत्र निर्धारित करते हैं जो ध्यान में रखते हैं। तथ्य यह है कि आवासीय होटल आवास और पूर्ण या आंशिक बोर्ड प्रदान कर सकते हैं। यदि नियम 1 जून, 2000 तक बनाये जाते हैं तो केवल इस आदेश के कारण जो मूल्यांकन पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि उक्त तिथि तक नियम नहीं बनाए गए, तो ये मूल्यांकन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक मूल्यांकन के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। साथ ही आज तक पूर्ण किए गए मूल्यांकन इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे, और निर्धारिती कानून के अधीन, उसके खिलाफ कार्यवाही अपनाने के हकदार होंगे।

आगे यह घोषित किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में 2 फरवरी, 1983 से पहले खाद्य और पेय की आपूर्ति पर बिक्री कर लगाना कानूनन गलत है।

सिविल अपील संख्या-354 वर्ष 1990 खारिज की जाती है।

सिविल अपील संख्या-1415 एवं 1416 वर्ष 1990 एवं रिट याचिका संख्याएं 15227 एवं 17245 वर्ष 1984 खारिज की जाती है।

रिट याचिकाएं कर्नाटक राज्य (रिट याचिका संख्याएं 3522 वर्ष 1983, 9022-47 वर्ष 1985 एवं रिट याचिका संख्या 11812 वर्ष 1985) बहस नहीं किया गया, जिन्हें खारिज किया जाता है।

लागत के निमित्त आदेश नहीं।

एस.वी.के.

अपील एवं याचिकाएं खारिज